

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय  
योजना भवन, विलास मार्ग, जयपुर।

विषय :- समस्त विश्राम भवनों/राजस्थान/हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस,  
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली एवं राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई में कमरों  
के आरक्षण का कार्य ऑनलाईन द्वारा किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त निदेशक, आशोचना (समन्वय) विभाग से प्राप्त अ.शा.  
टीप क्रमांक प.2(1)/आयो./ग्रुप-2/2017 दिनांक 12.10.2018 के संलग्न प्राप्त सामान्य  
प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(10)/साप्र/ग्रुप-5/2016 दिनांक 27.9.2018 की  
प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार



(रणवीर सिंह)


संयुक्त निदेशक (समन्वय)

एफ 5(4)/24/सम/डीईएस/विधि/2015 /1065

दिनांक:- 22/10/2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,  
जयपुर।
2. समस्त अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर।
3. सप/सहायक निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय, जिला समस्त।
4. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने  
बाबत प्रेषित है।
5. रक्षित पत्रावली।



(प्रवीण कुमार)

सांख्यिकी अधिकारी (समन्वय)

राजस्थान सरकार  
आयोजना (समन्वय) विभाग

विषय: समस्त विश्राम भवनों /राजस्थान/ हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस,  
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली एवं राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई में  
कमरों के आरक्षण का कार्य ऑनलाईन द्वारा किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से  
प्राप्त परिपत्र क्रमांक प.1(40)/साप्र/गुप-5/2016 दिनांक 27.09.2018  
की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(शकुंतला सिंह, आई.ए.एस.)  
संयुक्त शासन सचिव, आयोजना

- JPC
1. संयुक्त सचिव, परिवीक्षण/ योजना-वित्त/ संस्थागत वित्त एवं बीस सूत्री  
कार्यक्रम/ जनशक्ति/ मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद
  2. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी/मूल्यांकन संगठन/जनशक्ति निदेशालय
  3. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर शाखा
  4. वरिष्ठ शासन उप सचिव/ शासन उप सचिव, आयोजना (गुप-1ए) विभाग
  5. विशेषाधिकारी, आयोजना
  6. संयुक्त निदेशक, पी.पी.पी./पी.एम.यू./समन्वय
  7. सहायक शासन सचिव, आयोजना

अ.शा. टीप क्रमांक: प.2(1)/आयो./गुप-2/2017  
जयपुर, दिनांक: 12.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना
2. अतिरिक्त निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना

संयुक्त निदेशक, समन्वय

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5)विभाग

क्रमांक:प. 1(40)साप्र/ग्रुप-5/2016

जयपुर, दिनांक 27.9.2018

परिपत्र

समस्त विश्राम भवनों/राजस्थान हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली एवं राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई में कमरों के आरक्षण का कार्य ऑनलाईन बुकिंग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः दिनांक 01.10.2018 से विश्राम भवनों में कमरे ऑनलाईन के माध्यम से ही आरक्षित किये जावेंगे। आवास व्यवस्था हेतु स्वयं की SSO ID से बुकिंग की जा सकेगी।

ll. Pruthi  
12/09/18

४

(शिखर अग्रवाल)  
प्रमुख शासन सचिव

BOC

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर ।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
7. प्रमुख आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली ।
8. अतिरिक्त आवासीय आयुक्त नवी मुम्बई ।
9. समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक, निगम/बोर्ड/मण्डल, राजस्थान ।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान को समाचार पत्रों में समाचार प्रसार हेतु ।
11. पंजीयक, शारान सचिवालय ।
12. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन/ राजस्थान हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ राजस्थान भवन, वाशी नवी मुम्बई को पालनार्थ प्रेषित है ।
13. रक्षित पत्रावली ।

(राजीव/मिन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. सचिव, लोकसुवत्त, राजस्थान ।
4. सचिव, राजस्थान राज्य न्यायपालिका, जयपुर ।


सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम (CHMS) के माध्यम से सर्किट हाउसों में बुकिंग करना अब हुआ  
आसान

सर्किट हाउस में ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया :-

1. सर्वप्रथम [chms.rajasthan.gov.in](http://chms.rajasthan.gov.in) पर जायें एवं अपने SSO ID से पोर्टल पर लॉगिन करें।

या

[chms.rajasthan.gov.in](http://chms.rajasthan.gov.in) पर जाकर अपने SSO ID से लॉगिन करें एवं chms icon को सर्च कर क्लिक करें।

2.  आईकन पर बुकिंग रिक्वेस्ट को लिये क्लिक कर आप बुकिंग कर सकते हैं।  
और अपने स्तर पर किसी अन्य की बुकिंग भी उनकी SSO ID डालकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
3. बुकिंग फार्म में मुख्य रूप से ठहरने की अवधि और साथ में जाने वाले व्यक्तियों की जानकारी, विभागीय आदेश इत्यादि की सूचनायें भरनी होती हैं।
4. फार्म को ऑनलाइन सबमिट करने के पश्चात् आपके पास एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से अभिस्वीकृति सहीत प्राप्त हो जायेगी तथा आपके द्वारा भेजी गयी सूचना सम्बन्धित सर्किट हाउस को भी ऑनलाइन प्राप्त हो जायेगी।
5. आप द्वारा भेजी गयी बुकिंग रिक्वेस्ट को सम्बन्धित सर्किट हाउस द्वारा कन्फर्म की सूचना भी एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जायेगी।
6. इस प्रकार ऑनलाइन पोर्टल पर खाने की बुकिंग, कॉन्फेस हॉल की बुकिंग, बिलिंग की जानकारी इत्यादि भी पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।
7. अधिक जानकारी हेतु [chms.rajasthan.gov.in](http://chms.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध User Manual को देखे अथवा  
EPABX 5153222, 5153223, 5153660 हेल्पडेस्क आईपी 28073 पर संपर्क करें।